मोदी सरकार का राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रमाण-पत्र धारकों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भर्ती में प्रोत्साहन हेतु अभूतपूर्व निर्णय

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की आगामी उप निरीक्षक एवं कॉन्स्टेबल (जी.डी.) पद पर सीधी नियुक्ति भर्ती परीक्षा में एनसीसी सर्टिफिकेट के आधार पर अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान लागू होगा

भारत सरकार देश के सभी राज्यों से अनुरोध करेगी कि राज्य पुलिस की सीधी भर्ती में वह भी एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को उचित प्रोत्साहन प्रदान करें

प्रविष्टि तिथि: 19 MAR 2020 1:20PM by PIB Delhi

देश की युवा शक्ति को एनसीसी के प्रति जागरूक करने और इसमें सहभागिता बढ़ाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को साकार करने की दिशा में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक अभूतपूर्व निर्णय करते हुए सैन्य बलों की तरह एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती की लिखित परीक्षा में उनके सर्टिफिकेट के आधार पर बोनस/अतिरिक्त अंक देने का निम्नानुसार प्रावधान किया है।

- **NCC- C Certificate** धारक को परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5% अंक बोनस/अतिरिक्त अंक के रूप में दिया जायेगा।
- **NCC- B Certificate** धारक को परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3% अंक बोनस/अतिरिक्त अंक के रूप में दिया जायेगा।
- **NCC- A Certificate** धारक को परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2% अंक बोनस/अतिरिक्त अंक के रूप में दिया जायेगा।

यह बोनस अंक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की आगामी उप निरीक्षक एवं कॉन्सटेबल (जी.डी.) पद पर सीधी नियुक्ति भर्ती परीक्षा दोनों में लागू होगा। भारत सरकार साथ ही साथ देश के सभी राज्यों से भी यह अनुरोध करेगी कि राज्य पुलिस की सीधी भर्ती में वह भी एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को उचित प्रोत्साहन प्रदान करें। सरकार के इस निर्णय से न केवल युवाओं को एनसीसी में सम्मिलित होने की प्रेरणा प्राप्त होगी, अपितु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भी पूर्व-प्रशिक्षित एवं अनुशासित युवक मिलेंगे।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) एक त्रि-सेवा संगठन है जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना विंग शामिल हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर का नीति-वाक्य "एकता और अनुशासन" है और यह संगठन युवाओं को अनुशासित एवं देशभक्त नागरिक के रूप में तैयार करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार एनसीसी देश की युवा शक्ति मेंDISCIPLINE, DETERMINATION और देश के प्रति DEVOTION की भावना को मजबूत करने का बहुत सशक्त मंच है और ये भावनाएं देश के विकास के साथ सीधी-सीधी जुड़ी हैं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 के तहत किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने एनसीसी कैडेट्स को कठिन परिश्रम एवं देश के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने तथा युवा पीढ़ी को एनसीसी में आने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु अनेक कदम उठायें हैं। एनसीसी में सेना के सेवारत अधिकारियों के द्वारा कैडेट्स को बुनियादी सैन्य और हथियार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उनकी दक्षता एवं निपुणता का समय-समय पर परीक्षण किया जाता है, तदोपरान्त उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है।

प्रथम स्तर उत्तीर्ण करने पर "A" सर्टिफिकेट तथा द्वितीय स्तर उत्तीर्ण करने पर "B" सर्टिफिकेट दिया जाता है। कठिन प्रशिक्षण व परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें एनसीसी का उच्चतम सर्टिफिकेट "NCC- C Certificate" दिया जाता है। "B" सर्टिफिकेट प्राप्त किये कैडेट ही " C" सर्टिफिकेट के लिए योग्य होते हैं।

****

वीजी /एसएनसी /वीएम- 6336